समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–45/2020–21

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

हेमलाल सिंह एवं अन्य

–::आदेश::–

14.10.2022 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–27/2020, दिनांक–11.12.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री बिनोद बिहारी प्रमाणिक, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर पेटरवार थाना कांड सं0–105/2020, दिनांक–03.07.2020, धारा–379/414/34 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर नं0–JH10AH-2432 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू वाहन मालिक श्री हेमलाल सिंह पिता बासो सिंह सा0–गंधोनिया, पूर्णीडीह, हेस्सापोरा, जिला रामगढ़ 2. ट्रैक्टर नं0–JH09AD-5296 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू वाहन मालिक श्री मंदिल महतो पिता सोहराय महतो, सा0–ईरीगुवा टोला, मेरूदारू, अरजुआ, जिला बोकारो के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं बालु को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता पुकार पर अनुपस्थित रहे। दिनांक–05.04.2022 को उनकी ओर से दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया।

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि जप्त वाहन पर राजसात् करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है। विपक्षी को गलत तरीके से इस मुकदमें में फँसाया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वादी के द्वारा छापेमारी के दौरान दस्तावेज के बिना

Scanned with OKEN Scanner

पुष्टि के ही प्रश्नगत वाहन (1) ट्रैक्टर नं0–JH10AH-2432 (2) ट्रैक्टर नं0–JH09AD-5296 को जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा न तो कभी भी अवैध रूप से बालु का परिवहन किया गया है और न ही उनके पास से किसी भी प्रकार का अपराधिक वस्तु को ही बरामद किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के ही उन पर वाद दायर किया गया है। कोह पंचायत के मुखिया के द्वारा पत्र निर्गत कर पी0एम0 आवास योजना के अन्तर्गत कोह पंचायत के बुधनगोड़ा में आवास निर्माण हेतु बालु का परिवहन करने लिए लिखित आदेश दिए जाने के बाद ही वाहन मालिकों के द्वारा बालु का परिवहन किया गया है। विपक्षी के पास बालु परिवहन करने के वैध कागजात मौजूद है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि जप्ती सूची दिनांक–24.06.2020 को तैयार किया गया है जबकि लिखित प्रतिवेदन दिनांक–03.07.2020 को समर्पित करते हुए F.I.R दर्ज किया गया है। इस वाद में F.I.R काफी बिलम्ब से हुआ है, जिसका वादी के द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा जप्त वाहन के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा वाहन को विमुक्त करने के संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं की गई है। उक्त के आलोक में मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा दिनांक–01.10.2020 को आदेश पारित कर प्रश्नगत वाहन को (बालु छोड़कर) सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों की ओर से दाखिल दस्तावेज, कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से अधिहरण की कार्यवाही हेतु वाद दायर करने के पूर्व ही पेटरवार थाना कांड सं0–105/2020, दिनांक–03.07.2020, धारा–379/414/34 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर नं0–JH10AH-2432 (2) ट्रैक्टर नं0–JH09AD-

Scanned with OKEN Scanner

5296 (बालु छोड़कर) को मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा दिनांक–01.10.2020 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। वाहन पर लदा लगभग 200 घनफीट बालु के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–27/2020, दिनांक–11.12.2020 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए (1) ट्रैक्टर नं0–JH10AH-2432 पर लदा बालु (वाहन छोड़कर) (2) ट्रैक्टर नं0–JH09AD-5296 पर लदा बालु (वाहन छोड़कर) राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त कुल 200 घनफीट बालु को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चत करेंगें। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

14.10.2021 | 14.10.2021
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो। | समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.15 17:42:11 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with OKEN Scanner